न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 01/18 तारीख रजू 23.1.2018

1 प्रेमचन्द जैन तात्कालीन खाद्व सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये भरतपुर जोन भरतपुर हाल खाद्व सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर :—आवेदक

बनाम

1. गोपाललाल गुप्ता पुत्र श्री चौथीलाल गुप्ता जाति महाजन एफबीओ व मौके पर विक्रेता फर्म गोपाल लाल नरेशचन्द भूडारा बाजार करौली निवासी भूडारा बाजार जिला करौली
2. नरेशचन्द गर्ग पुत्र श्री चौथीलाल गुप्ता जाति महाजन एफबीओ व मालिक फर्म गोपाल लाल नरेशचन्द भूडारा बाजार करौली निवासी भूडारा बाजार जिला करौली

— अभियुक्त

जुर्म अंतगर्त धारा 26 की उपधारा 2(ा) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 **U/S 3(1)(zx) of FSSA 2006**

निर्णय दिनांक 12.2.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि तात्कालीन खाद्व सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये भरतपुर जोन भरतपुर हाल खाद्व सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 26 की उपधरा (2)(ा) धारा 51 व 54 का उल्लधंन के तहत गैरसायलान (अभियुक्त) के विरूद्व इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है जिसमे गैरसायलान फर्म गोपाल लाल नरेशचन्द भूडारा बाजार करौली निवासी भूडारा बाजार जिला करौली मे चलाता हुआ मिला जिसमे आम जनता के इस्तेमाल के लिऐ मावा बर्फी(मावा व चीनी से निर्मित) आदि बेचता है। इन खाद्व प्रदार्थ मे मिलावट का अन्देशा होने पर मैने दुकान मालिक यानि गैरसायलान से मावा वर्फी का नमूना लेने को कहा गया एवं शुद्वता की जॉच हेतु लिया गया जिसकी सूचना दुकान मालिक को जरिये प्रपत्र 5 ए देकर एक प्रति पर प्राप्ति हस्ताक्षर लिऐ गये एवं उपस्थित गवाहो के हस्ताक्षर कराकर मैने हस्ताक्षर किये गये उक्त शीशीयों मे से जॉच हेतु खरीद कर प्राप्त किये गये जिन्हे खाद्व विश्लेषक अलवर

तेल युक्त पदार्थ बिनौला खल खिलाने से भी पाया जाता है। अन्य कोई मिलावट नही की गई है। अन्त मे आवेदक का प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपने कथन मे जबाव को दौहराते हुये कहा कि खोया(मावा) मे किसी प्रकार की मिलावट नही की गई है। पशुओ को तेल व तेल युक्त पदार्थ बिनौला खल खिलाने से फेट व ऑईल बडता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

हमने वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड तथा गैरसायल के जबाव का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक द्वारा गैरसायल के प्रतिष्ठान से दिनांक 29.7.2017 को मावा बर्फी(मावा व चीनी से निर्मित) का नमूना लिया गया था जो खाद्व विश्लेषक अलवर द्वारा इसे सबस्टैण्र्डस माना गया है। जिसमे गैरसायल द्वारा इस मावा बर्फी(मावा व चीनी से निर्मित) मे कोई मिलावट नही होना बताया है किन्तु खाद्व विशलेषक अलवर राजस्थान से प्राप्त रिपोर्ट एल.एस.751/एक्ट/2017/772 दिनांक 9.8.2017 से खोया(मावा) सबस्टैण्र्डस किस्म की पाया जाना बताया गया है। **U/S 3(1)(zx) of FSSA 2006** फैट कन्टन्ट आर लॉ प्रकृति का पाया गया। इस प्रकार से गैरसायलान द्वारा विक्रय किया गया सामान सबस्टैण्र्डस का है। और इस जॉच रिपोर्ट की चुनौती देने हेतु आवेदक द्वारा धारा 46(4) के तहत 30 दिवस का समय दिया गया था किन्तु समय अवधि मे अप्रार्थी द्वारा इसको चुनोती नही दी गई है। हम अवेदक के प्रार्थना पत्र से सहमत है। नमूना सबस्टैण्र्डस होने पर इसके विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित हो रहा है।

अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जुर्म अंतगर्त धारा 26 की उपधारा 2(ा) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 **U/S 3(1)(zx) of FSSA 2006** धारा 51 व 54 के तहत अप्रार्थी को 3100/– रूपये अंकेन तीन हजार सौ रूपये के दण्ड से दण्डित किया जाता है अभियुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि सात दिवस में उक्त राशि न्यायालय में जमा कराई जावे तथा भविष्य मे खाद्य पदार्थ विक्रय करने से पूर्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 मे दिशा निदेशानुसार ही शर्ते के मुताबिक ही गुणवत्ता को ध्यान मे रख कर ही विकय/उपयोग लिया जावे। निर्णय की प्रति संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये भरतपुर जोन भरतपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.2.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0जिला कलक्टर
करौली